1

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते के उपरांत दिल्ली, उत्तर पदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के कामगारों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रू० 68.00 लाख (अड़सठ लाख) प्रति बस के अनुमानित दर से 74 Non AC Deluxe बस (2x2 Push Back) का क्रय किया जाना है। बसों के क्रय हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 50.32 करोड़ (पचास करोड़ बत्तीस लाख) रूपये सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना है।

(2)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन हेतु सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते के उपरांत दिल्ली, उत्तर पदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के कामगारों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रू० 74.00 लाख (चौहत्तर लाख) प्रति बस के अनुमानित दर से 75 AC Deluxe बस (2x2 Push Back) का क्रय किया जाना है। बसों के क्रय हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 55.50 करोड़ (पचपन करोड़ पचास लाख) रूपये सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना है।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल से लगभग 03 हजार बिहार के कामगारों/आम नागरिकों को प्रतिदिन महत्त्वपूर्ण पर्व यथा दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह एवं होली में एक माह सहित कुल 03 माह प्रत्येक वर्ष 05 वर्षों तक परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय मार्गो पर बसों के संचालन हेतु लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों को नई ए0सी0 बस (2x2 Push Back 44 Seater/Sleeper) के खरीद पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये प्रति बस की दर से 150 बसों के क्रय की योजना है।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा निजी बस ऑपरेटर से बस के परिचालन हेतु 05 वर्ष के एकरारनामा किया जाएगा एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित विशिष्टता के अनुरूप नयी ए0सी0 बस क्रय करने पर प्रति बस 20.00 (बीस लाख) रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में निजी बस ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जाना है।

नयी ए0सी0 बस क्रय के प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत कुल 30.00 करोड़ (तीस करोड़) एवं योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु आकस्मिकता मद में योजना लागत का 02% अर्थात 60.00 लाख (साठ लाख) रूपये सहित कुल 30.60 करोड़ (तीस करोड़ साठ लाख) रूपये की व्यय किया जाना है।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल—सोनो, मौजा—पहाड़पुर, थाना सं0—22/62, खाता सं0—61 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा—26.61 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल–सोनो, मौजा–मुड़माला, थाना सं0–22/112, खाता सं0–334 के खेसरा सं0–1339 एवं 1344 के रकबा क्रमशः 11.27 एकड़ एवं 32.13 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा–43.40 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल—मधुबनी के मौजा—तौलाहा, थाना सं0—263, खाता सं0—03, खेसरा सं0—7289, रकबा—2.30 एकड़ एवं मौजा—पकड़ीहवा, थाना सं0—264, खाता सं0—112 के खेसरा सं0—595, 711, रकबा—4.51 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा—6.81 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, किस्म—परती कदीम भूमि पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बाँका जिलान्तर्गत अंचल–बाँका, मौजा–नगरपालिका, वार्ड सं0–08, खाता सं0–453, खेसरा सं0–620 की कुल प्रस्तावित रकबा–10 डी0 गैरमजरूआ खास किस्म–परती भूमि पर SIB के क्षेत्रीय ईकाई आई0बी0 पोस्ट के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–37,50,000/– (सैंतीस लाख पचास हजार) रूपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति की स्वीकृति।

(8)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अंचल—पूर्णियाँ पूर्व के मौजा—बरसौनी, थाना सं0—92 के विभिन्न खाता एवं खेसरा के कुल प्रस्तावित रकबा—7.12 एकड़ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की भूमि पर अन्तर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बाह्य रोगियों एवं उनके परिजनों/परिचर को जीविका द्वारा सम्पोषित "दीदी की रसोई" द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से प्रति थाली रू० 20/– की दर से सब्सिडी युक्त सस्ती थाली की व्यवस्था प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गयी है । वर्तमान में दीदी की रसोई का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रुपये का आकलन किया गया है, इस व्यवस्था पर लगभग पाँच करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का अनुमान है ।

10

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः– आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार हेतु सेंटेज सहित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹25981.00 लाख (दो सौ उन्सठ करोड़ एकासी लाख रू0) मात्र के पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित राशि ₹33136.00 लाख (तीन सौ एकतीस करोड़ छत्तीस लाख रू0) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के पश्चात् बढ़ी हुई राशि ₹7155.00 लाख (एकत्तर करोड़ पचपन लाख रू0) मात्र का राज्य योजना मद से व्यय की स्वीकृति दी गई।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

D:\SEC-1\storm water drainage\Cabinet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

बिहारसरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत आश्रयविहिनों हेतु आश्रयस्थल (शेल्टर फॉर अर्बन, होमलेस) घटक की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2029–30 तक कुल देय राशि रू0 31,08,48,300.00 (रूपये इकतीस करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार तीन सौ मात्र) का व्यय राज्य योजना मद से किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(राजीव कुमार श्रीवास्तव),
सरकार के अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(12)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं0–859 दिनांक–26.03.2025 द्वारा अधिगृहित दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 दिनांक–17.09.2024, के प्रावधानों के आलोक में सरकारी सम्पत्तियों के उपयोग की अनुमति हेतु विभिन्न विभागों/स्थानीय प्राधिकार को नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(13)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत जहानाबाद जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 32,43,97,000/- (बत्तीस करोड़ तैंतालीस लाख सत्तानवे हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जहानाबाद जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

जहानाबाद जलापूर्ति परियोजना में 3000 गृह जल संयोजन हेतु 135.100 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क कार्य किया जायेगा, जिससे जहानाबाद शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

संचिका संख्या–01/स्था०–26(नियo)–04/2024

(14)

बिहार सरकार
खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

"राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य खेल अकादमी के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण (आवासीय एवं गैर आवासीय) एवं अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करना एवं बिहार राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किये जाने, कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल गतिविधियों में सम्मिलित किये जाने से संबंधित खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों तथा राज्य में विभिन्न खेलों का अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए आधुनिकतम खेल अवसंरचना का निर्माण कर राज्य के युवाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में अधिकाधिक प्रतिभागिता, प्रतिभा का चयन एवं खेल के प्रति जागरूकता इत्यादि लाने का उद्देश्यों से राज्य के अंतर्गत खेल का वातावरण तथा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किये जाने के प्रयोजनार्थ राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकार, संवर्ग संरचना, शैक्षणिक अहर्त्ता, मूल कोटि में नियुक्ति, आरक्षण, वरीयता एवं प्रोन्नति इत्यादि अन्य सेवा शर्तो का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

Rajendra

(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(15)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या– ग्रा.वि.–10 / बजट–06 / 2025 (खंड)

प्रेस नोट

योजना की स्वीकृति से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूर्व में प्राप्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की निकासी हो सकेगी, जिससे लाभुक परिवारों को राशि विमुक्त की जा सकेगी । साथ ही, केन्द्रांश की द्वित्तीय किश्त की राशि की प्राप्ति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सकेगा ।

उपरोक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग की मॉग संख्या 42 अंतर्गत कुल 23331.00 लाख (दो अरब तैंतीस करोड़ इकतीस लाख) रूपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

प्रेस नोट

16

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के परियोजनाओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के Model Concession Agreement for हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) को बिहार सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अंगीकार करने की स्वीकृति प्रदान कर दीघा–शेरपुर– बिहटा–कोईलवर (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक योजना को EPC से परिवर्तित कर 35.65 कि0मी0 लम्बाई में जे0पी0 गंगा पथ परियोजना की स्वीकृति HAM Model पर स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित जे.पी. गंगा पथ परियोजना का दीघा से शेरपुर होते हुए बिहटा में कोईलवर पुल तक 4–लेन मानक पथ में विस्तारित करने से संबंधित परियोजना है।

प्रस्तावित परियोजना में दीघा–शेरपुर–बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक कुल 35.65 कि०मी० लंबाई में जे०पी० गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण होना है।

HAM Model पर योजना के लागू करने से शुरूआत में राज्य सरकार के द्वारा लगभग 40 प्रतिशत राशि (भू–अर्जन एवं अन्य मदों को छोड़कर) ही वहन करनी होगी। अवशेष राशि Concessionaire के द्वारा लगायी जायेगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा टॉल वसूली एवं बजट के माध्यम से योजना समाप्त होने के 15 वर्षों तक किस्तों में वहन किया जायेगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

17

प्रेस–नोट

राज्य में सर्वाधिक कर का भुगतान करने वाले करदाताओं / व्यवसायियों को **"भामाशाह सम्मान"** योजना से सम्मानित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य अन्य व्यवसायियों/करदाताओं को अधिकाधिक कर भुगतान हेतु प्रेरित किया जाना है। सम्मान योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के आधार पर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एवं माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन चयनित करदाताओं / व्यवसायियों को **"भामाशाह सम्मान"** से नवाजा जायेगा। जिसके तहत् प्रशस्ति पत्र एवं नकद राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की जायेगी।

(संजय कुमार सिंह)
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

कैमूर (भभुआ) न्यायमंडल अंतर्गत मोहनियाँ अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय कम्पलेक्स एवं आवासीय क्वार्टर के निर्माण हेतु प्रस्तावित 06 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के लिए प्रांक्कलित राशि रु0–39,83,04,050/– (उनचालीस करोड़ तेरासी लाख चार हजार पचास) रुपये के प्राक्कलन के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना है।

यह राज्य योजना है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में रु0–39,83,04,050/– (उनचालीस करोड़ तेरासी लाख चार हजार पचास) की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस राशि को आवंटित किया जा सकेगा।

भू–अर्जन के उपरांत उक्त भूमि पर कैमूर (भभुआ) न्यायमंडल अंतर्गत मोहनियाँ अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय कम्पलेक्स एवं आवासीय क्वार्टर के निर्माण होने से न्यायिक आधारभूत संरचना बेहतर होगा तथा उस क्षेत्र के आम जन को त्वरित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\AH\Shankar\Janch Patra\Janchpatra Press Note.Doc

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
प्रेस – नोट

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराये जाने की माँग लगातार की जाती रही है। उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि भुगतान किये जाने संबंधी प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त निर्णय/प्रावधान के लागू हो जाने से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि के मृत्युपरांत उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

(मनोज कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
प्रेस – नोट

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने एवं इस निमित्त कुल ₹5,48,62,12,800.000 (पाँच अरब अड़तालीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार आठ सौ रूपये) प्रतिवर्ष व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(मनोज कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

22

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि॰ प्रा॰ (III) यो॰ –61 / 2016

प्रेस नोट

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत अरवल जिला में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) एवं 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 3598.04 लाख (पैंतीस करोड़ अनठानवे लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति से संस्थान में नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए पूर्ण आवासन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

50/50

(23)

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि॰प्रा॰त०शि० (VII) यो॰ – 15/ 2025

प्रेस नोट

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत रोहतास जिला में संचालित शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) एवं 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 4180.70 लाख (इकतालीस करोड़ अस्सी लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति से संस्थान में नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए पूर्ण आवासन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

5/50

24

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि० प्रा० (IV) यो० – 47/ 2021

<u>प्रेस नोट</u>

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत जहानाबाद जिला में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) एवं 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 4242.74 लाख (बयालीस करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति से संस्थान में नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए पूर्ण आवासन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि.प्रा. (IV) भूमि– 05/2019

प्रेस नोट

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन पश्चिम चंपारण(बेतिया) जिलान्तर्गत बगहा अनुमंडल के मधुबनी अंचल में राजकीय पोलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चंपारण) की स्थापना की स्वीकृति तथा उक्त संस्थान के लिए आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता अधिष्ठापन, परिसर विकास सहित विभिन्न कोटि के भवनों यथा प्रशासनिक भवन(G+3), 200(दो सौ) शय्या का एक बालक छात्रावास(G+3), 100(एक सौ) शय्या का एक बालिका छात्रावास(G+3), प्राचार्य–सह–व्याख्याता क्वार्टर(G+3), तकनीकी सपोर्ट स्टाफ क्वार्टर(G+3), सपोर्टिंग स्टाफ कर्मी–IV क्वार्टर(G+2), वर्कशॉप(G), एमिनिटी भवन(G+1) इत्यादि के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 7304.10 लाख (तेहत्तर करोड़ चार लाख दस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

उक्त संस्थान के स्थापना हो जाने से राज्य में तकनीकी शिक्षा की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में सीटो की संख्या में अभिवृद्धि हो जाने से छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सुलभ होगा।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि॰प्रा॰ (IV)योजना(जीर्णोद्धार)– 24/2021

प्रेस नोट

सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा के परिसर में अतिरिक्त भवनों 300(तीन सौ) शय्या का एक बालक छात्रावास (G+5) एवं 300(तीन सौ) शय्या का एक बालिका छात्रावास (G+5) के निर्माण कार्य के लिए कुल राशि रू० 4623.59 लाख (छियालीस करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने से नामांकित छात्र/छात्राएं के लिए आवासन की सुविधा हो सकेगी।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा
पदनाम :– सचिव
विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

27 2/50

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि.प्रा. (IV) यो. – 14/ 2020

प्रेस नोट

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला में संचालित मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर के परिसर में प्रस्तावित अतिरिक्त भवनों यथा– शिक्षकों के लिए टाईप–सी आवासीय भवन (20 यूनिट), 300 बेड बालिका छात्रावास (G+5) एवं 200 बेड बालक छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 4245.80 लाख (बयालीस करोड़ पैंतालीस लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति से संस्थान में नामांकित छात्र/छात्राओं, सहायक प्राध्यापकों, सह–प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के लिए पूर्ण आवासन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे छात्र/छात्राएं एवं शिक्षक लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– डॉ० प्रतिमा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

28

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि॰प्रा॰त॰शि॰ (VII) यो॰ –18/ 2025

प्रेस नोट

केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की योजना "Scheme for Promotion of Culture and Science (SPoCS)" के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से राज्य के तीन जिलों यथा पूर्वी चम्पारण, जमुई एवं पूर्णियाँ में डिजिटल तारामंडल/स्पेस एण्ड एस्ट्रोनोमी एडुकेशन सेंटर की स्थापनार्थ कुल अनुमानित व्यय रू॰ 39.00 करोड़ (उनचालीस करोड रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति, उक्त स्वीकृत राशि में से रू॰ 22.20 करोड़ (बाईस करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के उपक्रम National Council of Science Museums (NCSM) को कार्यान्वयन एजेन्सी मनोनीत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य के सुदूर इलाको में वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण का विकास होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र एवं जनसाधारण में वैज्ञानिक शिक्षा को लोकप्रियता मिलेगी जिससे पर्यटक तथा आम जनता एवं छात्र–छात्राएं लाभान्वित होगें।

हस्ताक्षर :–
नाम :– डॉ॰ प्रतिमा
पदनाम :– सचिव
विभाग का नाम :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

(29)

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876</u>

<u>दिनांक 19.10.2006 के आलोक में</u>

<u>निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना</u>

प्रेस नोट

= = = = =

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–**23/ECI/ERS-3/2025** दिनांक–22.04.2025 एवं पत्रांक–**23/BLO/2018-ERS** दिनांक–04.05.2018 के आलोक में राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों के अधीन निर्वाचक सूची कार्य के सतत पर्यवेक्षण हेतु 8245 बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर की नियुक्ति के फलस्वरूप उनके वार्षिक मानदेय की राशि ₹12,000.00 एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में हाउसहोल्ड विजिट के लिये ₹3,000.00 रूपये वार्षिक अर्थात् कुल ₹15,000.00 रूपये प्रति बी०एल०ओ० सुपरवाईजर की दर से प्रत्येक वर्ष कुल ₹12,36,75,000/–(बारह करोड़ छत्तीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर–

नाम– मिथिलेश कुमार साहु

पदनाम– संयुक्त सचिव

"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी"

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

"मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" के अंतर्गत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। विवाह मंडप का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा। इसके निर्माण पर प्रति ग्राम पंचायत ₹50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) की दर से कुल 8053 ग्राम पंचायतों के लिए कुल ₹40,26,50,00,000.00 (चालीस अरब छब्बीस करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के आम जनों की सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूर्त्ति हो सकेगी एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्र में विवाह मंडप के निर्माण से न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति होगी बल्कि ग्राम पंचायत के आर्थिक विकास, सामुदायिक एकता और पर्यावरण संरक्षण में भी बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक पाँच वित्तीय वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा।

(मनोज कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या:— ग्रा0वि0 07 (नि0)— 01/2025

प्रेस नोट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अंतर्गत वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक इच्छुक परिवारों के वयस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी देना तथा इस क्रम में स्थायी, गुणवत्ता पूर्व एवं उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है ।

इस क्रम में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा को संशोधित कर समुचित वृद्वि किये जाने से क्षेत्रीय स्तरों पर योजनाओं का ससमय कियान्वयन एवं सुसम्पादन सुनिश्चित हो सकेगा । साथ ही, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी एवं संतोषप्रद तंत्र की स्थापना, रोजगार के समुचित अवसर का सृजन तथा स्थायी, गुणवत्ता पूर्ण एवं उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा ।

उपरोक्त के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत की प्रशासनिक स्वीकृति की अधिसीमा को 05 (पाँच) लाख रूपये से बढा कर 10 (दस) लाख रूपये तक किये जाने का निर्णय लिया गया है । साथ ही, तदनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता की प्रशासनिक / तकनीकी स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में वृद्धि की गई है ।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राज्य के सभी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर समाहरणालय में राज्य सरकार के स्तर से जीविका दीदी की रसोई के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में ।

इससे प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर समाहरणालय में जीविका दीदी की रसोई के संचालन से वहाँ कार्य कर रहें कर्मियों एवं दूर–दराज से कार्यालयों में आ रहें आगन्तुकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सकेगी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सतत रोजगार प्राप्त होगा । साथ ही साथ इसमें कार्य करने वाली महिलाओं का क्षमतावर्धन एवं उनकी आय में वृद्धि होगी ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

33

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को दोगुना किये जाने एवं इस हेतु अतिरिक्त व्यय भार प्रति वर्ष राशि रू0 735 करोड़ (सात सौ पैंतीस करोड रूपए) को राज्य योजना पर भारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं ।

वर्तमान में सामुदायिक संगठन कार्यकर्ताओं, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी का निर्धारित मानदेय काफी कम हैं एवं सामुदायिक संगठनों के स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के सम्यक संचालन हेतु इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, इससे सामुदायिक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढेगा एवं जीविकोपार्जन उन्नयन तथा सामुदायिक संगठनों के सशक्तीकरण को भी बल मिलेगा।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

34 (1/50)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए से अधिक एवं 10 लाख रुपए की अधिसीमा तक की बैंक ऋण राशि को 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त ब्याज की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के संबंध में।

ऊंची ब्याज दर होने के कारण बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्व–रोजगार के आयामों को विस्तारित करने में कठिनाई महसूस होती है। इस क्रम में समूहों द्वारा ब्याज भुगतान में ज्यादा व्यय किया जाता है एवं अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए राशि कम बचती है। कम ब्याज दर पर बैंक ऋण राशि उपलब्ध होने से स्व–रोजगार के लिए पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी होगी तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम होगी।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

(35) (1/50)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा कराये गये जाति आधारित गणना में कुल सर्वेक्षित 2 करोड़ 76 लाख परिवारों में लगभग 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाये गए हैं, जिसमें सामान्य जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात समाज के सभी वर्गों के परिवार शामिल हैं। इन 94 लाख से अधिक आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा "बिहार लघु उद्यमी योजना" चलाई जा रही है।

इन 94 लाख से अधिक परिवारों में जीविका के अंतर्गत आच्छादित स्वयं सहायता समूह की महिला भी शामिल हैं। साथ ही, 94 लाख चिह्नित आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की परिधि के बाहर भी जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। राज्य में 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 01 करोड़ 40 लाख से अधिक महिला सदस्य हैं। इन दोनों श्रेणी के परिवारों की एक महिला को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए योजना के अवयव, राशि एवं क्रियान्वयन की नीति के संबंध में अनुशंसा प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

आवास प्लस, 2024 की सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए 1,04,90,743 परिवारों का नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रयोजनार्थ परिवार शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं रहने के कारण इन सर्वेक्षित परिवारों में से योग्य परिवारों का चयन एवं सत्यापन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के संदर्भ में परिवार को परिभाषित करने से योजनान्तर्गत योग्य लाभुकों का चयन एवं उन्हें नियमानुसार आवास का लाभ दिये जाने में सुविधा होगी।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए के लिए संचालित बिहार निःशक्तता पेंशन योजनान्तर्गत किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह पेंशन की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्यों में दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/– के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों हेतु इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कार्यान्वित है। इस योजना अन्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के 60–79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 200/– (दो सौ) केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 200/– (दो सौ) राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/– (पाँच सौ) प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्यों में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/500 के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन की राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की की गई है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(39)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के लिए के लिए क्रियान्वित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार की विधवा, जिनकी आयु 40–79 वर्ष हो, को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिसमें रू0 300/– (तीन सौ) केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/– (एक सौ) राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्यों में विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/– के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

(40)

राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के लिए के लिए संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा, जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/– (साठ हजार) से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों, को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह पेंशन की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्य में विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/– के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए के लिए क्रियान्वित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजनान्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवार के 18–79 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है, जिसमें रू0 300/– (तीन सौ) केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/– (एक सौ) राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्यों में दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/– के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(43)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं0– 3012 दिनांक 13.09.2024, एवं संकल्प सं0–1438 दिनांक 17.04.2025 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' के तहत राज्य के ग्रामीण पुलों का निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन कार्य विभाग द्वारा किया जाना है।

इस हेतु "मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना" के तहत अररिया जिला के कार्य प्रमंडल–अररिया अंतर्गत सिकटी प्रखण्ड के पुल "Panchayat kursakanta (Thengapur Panchayat Sikti Block) Antargat Chouk Road 18 Mile Chowk se Tira Gaun jane wali Sarak se Bakra nadi me HL 160 M RCC Pul ka Nirman karya" पुल की लम्बाई–536.640 मी0 की कुल प्राक्कलित राशि रू0 63.31267 करोड़ रूपये (तिरेसठ करोड़ इकतीस लाख छब्बीस हजार सात सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के अररिया जिला के आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

3. उक्त मंदिर परिसर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों की अपार भीड़ लगी रहती है। मंदिर प्रांगण में विविध संस्कार, कर्मकाण्ड, पूजा–पाठ यथा–मुंडन संस्कार, शादी–विवाह, वाहन पूजन, इत्यादि लगातार होते रहते हैं। तथापि, मंदिर परिसार में धर्मशाला, विवाह भवन, स्नानागार तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं (Basic Amenities), इत्यादि नहीं रहने के कारण श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों को कठिनाओं का सामना करना पड़ता है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत "बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला" की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत लिया गया है।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

48

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं0–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0–1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0–1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रुप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य एवं अनुसूचित जाति घटक के अधीन राज्य के सभी 38 जिला अन्तर्गत कुल 4079 पथों, लम्बाई–6484.560 कि0मी0 के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू0 5627.08673 करोड़ रूपये (पाँच हजार छः सौ सत्ताईस करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के सभी जिलों के आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

दिनांक 28.03.2025 को संपन्न माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) में शामिल करते हुए परियोजना की कुल लागत राशि रूपये 6282.32 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमे केन्द्रांश की राशि 3652.56 करोड़ है।

तदालोक में जल शाक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–P-19016/p1/2024-O/o Comm (SPR)-MOWR/642-55 दिनांक 22.04.2025 द्वारा उक्त परियोजना को तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) में कतिपय शर्तों के साथ सम्मिलित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का संसूचन किया गया।

योजना से लाभः–

इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने से सिंचाई सुविधा से वंचित बिहार के सबसे पिछड़े सीमांचल क्षेत्र के अररिया जिला में 69,642 हेक्टेयर, पूर्णियॉ जिला में 69,970 हेक्टेयर, किशनगंज जिला में 39,548 हेक्टेयर एवं कटिहार जिला में 35,653 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 2,14,813 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना अन्तर्गत निम्न कार्य प्रावधानित हैः–

(i) इस परियोजना अन्तर्गत कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ने का प्रस्ताव है। पूर्वी कोसी मुख्य नहर के 0.00 से 41.30 किलोमीटर तक वर्तमान जल संवहन क्षमता 15000 क्यूसेक को बढ़ाकर 20000 क्यूसेक किया जाना।

(ii) मुख्य नहर के अन्तिम बिन्दु 41.30 से 117.50 किलोमीटर तक विस्तारीकरण कर 5 क्यूसेक तक के क्षमता वाले नये नहर प्रणालियों का निर्माण किया जाना।

कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 6282.32 करोड़ (बासठ सौ बेरासी करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र है तथा मार्च 2029 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

(44)
(42)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों हेतु मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कार्यान्वित है। इस योजनान्तर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनको केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो, को मासिक पेंशन दी जाती है। 60–79 आयु वर्ग के वृद्धजन को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को रू0 500/– (पाँच सौ) प्रतिमाह पेंशन डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्य में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/500 के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

3. उक्त मंदिर परिसर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों की अपार भीड़ लगी रहती है। मंदिर प्रांगण में विविध संस्कार, कर्मकाण्ड, पूजा–पाठ यथा–मुंडन संस्कार, शादी–विवाह, वाहन पूजन, इत्यादि लगातार होते रहते हैं। तथापि, मंदिर परिसार में धर्मशाला, विवाह भवन, स्नानागार तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं (Basic Amenities), इत्यादि नहीं रहने के कारण श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों को कठिनाओं का सामना करना पड़ता है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत "बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला" की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत लिया गया है।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

42

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों हेतु मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कार्यान्वित है। इस योजनान्तर्गत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनको केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो, को मासिक पेंशन दी जाती है। 60–79 आयु वर्ग के वृद्धजन को रू0 400/– (चार सौ) प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को रू0 500/– (पाँच सौ) प्रतिमाह पेंशन डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में बढती मंहगाई एवं अन्य राज्य में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दी जा रही पेंशन की राशि के मद्देनजर माह जुलाई, 2025 से पात्र लाभुकों को रू0 400/500 के स्थान पर रू0 1100/– (ग्यारह सौ) प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।